



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/माघ 23, 1939

No. 77]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 156(अ).— मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड आधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1992 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- मसाला बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में विनियम 6 के उप-विनियम (1) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।
- विनियम 8 के उप विनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।
- विनियम 9 के उप विनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।
- विनियम 10 के उप विनियम (8) के खंड (ख) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।
- विनियम 14 के उप विनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।
- विनियम 26 में, दोनों स्थानों पर "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।
- उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदों और / अथवा श्रेणी का वर्णन	नियोक्ता प्राधिकारी		शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियाँ जिन्हें वह अधिरोपित कर सकता है (विनियम 7 की मद (i) से मद (ix) तक के संबंध में)	अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी		शास्तियाँ	
1	2	3	4	5	6
I	समूह 'क' पद	सचिव	सचिव	सभी	केंद्रीय सरकार
II	सभी समूह 'ख' पद	सचिव	सचिव	सभी	केंद्रीय सरकार
III	सभी समूह 'ग' पद	मसाला बोर्ड* का निदेशक या उप सचिव के स्तर का अधिकारी	मसाला बोर्ड* का निदेशक या उप सचिव के स्तर का अधिकारी	सभी	सचिव
IV	सभी समूह 'घ' पद	मसाला बोर्ड* का निदेशक या उप सचिव के स्तर का अधिकारी	मसाला बोर्ड* का निदेशक या उप सचिव के स्तर का अधिकारी	सभी	सचिव

[फा. सं. 5/10/2016- बागान- डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र में संख्या फा.सं.13/2/88-सतर्कता, तारीख: 10 मार्च, 1992, द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R.156(E).—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), Spices Board hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board Service (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1992, namely: -

- (1). These regulations may be called the Spices Board Service (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2018.
- (2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Spices Board Service (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1992 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 6, in sub-regulation (1), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation 8, in sub-regulation (1), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation 9, in sub-regulation (1), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation 10, in clause (b) of sub-regulation 8, for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation 14, in sub-regulation (1), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- In regulation (26), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted in both the places.
- In The schedule of the said regulations, the following shall be substituted, namely:-

Sl.No	Description of posts and/or class	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalty and the penalty which it may impose (with reference to item (i) to (ix) in regulation 7)	Appellate Authority	
			Authority	Penalty	
I	2	3	4	5	6
I	Group A Posts)	Secretary	Secretary	All	Central Government
II	All Group B posts	Secretary	Secretary	All	Central Government
III	All Group C posts	Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board*	Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board*	All	Secretary
IV	All Group D posts	Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board*	Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board*	All	Secretary

[F.No. 5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal regulation was published in the Gazette of India *vide* number F.No.13/2/88-Vig dated the 10th March, 1992.